# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

**दिनांक-06.07.2024**

**विषयः- नाबालिग लड़की से छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त पारसनाथ पटेल थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के नेतृत्व मे थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0276/2024 धारा 74/76/333/351(2) बी0एन0एस0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित नामजद अभियुक्त पारसनाथ पटेल पुत्र मेवालाल निवासी चुप्पेपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी को चुप्पेपुर थाना शिवपुर से आज दिनांक-06.07.2024 को समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का विवरण-** दिनांक 05.07.2024 को वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थी की नाबालिक पुत्री (उम्र 15 वर्ष) को पड़ोस का रहने वाला पारसनाथ पटेल पुत्र मेवालाल पटेल निवासी ग्राम चुप्पेपुर, थाना शिवपुर जिला वाराणसी पिछले कई दिनों से परेशान व छेड़छाड कर रहा है प्रार्थी की पुत्री द्वारा कई बार प्रार्थी से उपरोक्त घटना की शिकायत की गयी जिस पर प्रार्थी पारसनाथ पटेल के घर वालों से इसकी शिकायत की गयी जिस पर उल्टे विपक्षीगण ही धमकी देने लगे जिससे प्रार्थी सामाजिक लोकलाज के डर से शांत हो गया। विपक्षी पारस पटेल मनबढ़ किस्म का व्यक्ति है तथा दिनांक 04.07.2024 को प्रार्थी की पत्नी खेत पर गयी थी तथा प्रार्थी अपने काम धंधे पर गया था। घर पर अकेली प्रार्थी की नाबालिग पुत्री व प्रार्थी की वृद्ध मां थी, समय लगभग 5.00 बजे पारस पटेल नशे की हालत में प्रार्थी के घर में घुस गया तथा प्रार्थी की पुत्री को पकड़कर छेड़खानी करने लगा, प्रार्थी की पुत्री द्वारा शोर मचाने पर प्रार्थी की वृद्ध मां बीच बचाव करने लिये आयी जिस पर पारस पटेल द्वारा प्रार्थी के वृद्ध मां को धकेल दिया गया प्रार्थी की पुत्री के कपड़े भी फाड़ दिये व धमकी देते हुये चला गया कि अगर किसी को यह बात बताओगी तो तुम्हे और तुम्हारे परिवार को जान से मरवा देंगे। विपक्षी के घरवालों द्वारा बार-बार प्रार्थी पर शिकायत वापस करने का दबाव बनाया जा रहा है जिससे प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार काफी डरा सहमा है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना शिवपुर में मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत हुआ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

पारसनाथ पटेल पुत्र मेवालाल निवासी चुप्पेपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी उम्र लगभग 55 वर्ष।

**गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-** चुप्पेपुर थाना शिवपुर दिनांक 06.07.2024 समय 10.30 बजे।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. उ0नि0 रामसिंह थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. प्र0उ0नि0 शैलेश शर्मा थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

**सोशल मीडिया सेल**
**पुलिस उपायुक्त**
**वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।**